



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092023-248863
CG-DL-E-21092023-248863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]
No. 228]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 2023/भाद्र 29, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2023/BHADRA 29, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2023

मामला सं. ए डी (ओआई) -08/2023

विषय: चीन जन.गण., के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सल्फर ब्लैक" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 06/08/2023-डीजीटीआर.—1. मै. अतुल लि. (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने 1995 में और उसके बाद यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सल्फर ब्लैक" (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित "सल्फर ब्लैक" हैं। सल्फर ब्लैक का प्रयोग मुख्यतः डाइंग सेल्युलोज फाइबर, विस्कोस स्टेपल फाइबर और यार्न के लिए किया जाता है। इसे या तो पावडर रूप में या तरल रूप में उत्पादित किया जाता है। इसके उत्पादन के रूप पर विचार किए बिना इसे किसी खास अतिरिक्त लागत के बिना एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न दृढ़ताओं में उत्पादित किया जाता है। इन दृढ़ताओं को बीआर 100, बीआर 200, बीआर 220, बीआर 240, आदि के रूप में वर्णित किया जाता है। बीआर 220 को मानत दृढ़ता निर्दिष्ट किया गया है। यद्यपि, उत्पाद को विभिन्न दृढ़ताओं में उत्पादित किया जाता है, तथापि उनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है।
4. सल्फर ब्लैक का प्राथमिक रूप से डाइंग सेल्युलोज फाइबर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे डाइंग विस्कोस स्टेपल फाइबर और यार्न, पेपर और लेदर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद का प्राथमिक अनुप्रयोग वस्त्र, कागज और चमड़ा क्षेत्रों में है।
5. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 32 के एच एस कोड 32041967 के अंतर्गत आयातित किया जा रहा है। तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि पीयूसी का आयात अन्य उप शीर्षों अर्थात् 32041196, 32041218, 32041911, 32041925, 32041958, 32041964, 32041969, 32041979 और 32049000 के अंतर्गत ही किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार पीयूसी तथा पीसीएन के निर्माण के लिए अपने प्रस्ताव, यदि कोई हों, के संबंध में इस जांच की शुरुआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

आयात आंकड़ों का स्रोत और मात्रा की गणना की पद्धति

7. प्राधिकारी ने डी जी सिस्टम से सौदावार आयात आंकड़े प्राप्त किए हैं। प्राधिकारी ने आयात मात्रा, मूल्य और पहुंच कीमत के लिए डी जी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है। यह नोट किया जाए कि आयातित उत्पाद विभिन्न दृढ़ताओं जैसे बीआर 220, बीआर 200 आदि का है। तथापि, समतुल्य मात्रा ज्ञात करने के लिए आवेदक ने प्रस्ताव किया है कि आयात मात्राओं को बीआर 220 की सबसे अधिक सामान्य तौर पर व्यापार की गई दृढ़ता में परिवर्तित किया जाए। आयात आंकड़ों के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई गई है:

| क्र.सं. | आयात प्रकार | दृढ़ता | फार्मूला |
|---------|-------------|--------|-------------|
| 1 | बीआर 220 | 100% | 220/220*100 |
| 2 | बीआर 100 | 45% | 100/220*100 |
| 3 | बीआर 240 | 109% | 240/220*100 |
| 4 | बीआर 200 | 91% | 200/220*100 |
| 5 | बीआर 260 | 118% | 260/220*100 |
| 6 | बीआर 160 | 73% | 160/220*100 |

8. प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियों के आधार पर आंकड़ों के परिवर्तन या पीसीएन वार विश्लेषण की आवश्यकता के लिए भी अन्य पद्धति को अपनाने की आवश्यकता की भी जांच कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित किए जाने के लिए आरोपित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग कर रहे हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" के रूप में माना गया है।

ग. संबद्ध देश

10. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

11. आवेदक ने दावा किया है कि उन्होंने न तो पीयूसी का आयात किया है और न ही वे चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित हैं। इसके अलावा, एप्लिकेशन को महादेव डाइज एंड केमिकल्स, खेकडा केमिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एपीसीओ डार्ड केम प्रा. लिमिटेड, और मौलिक डाइकेम द्वारा भी समर्थित किया गया है। रिकॉर्ड में सूचना पर विचार करते हुए आवेदक का भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा 70% से भी अधिक बनता है। उक्त के मद्देनजर और जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. कथित पाटन का आधार**सामान्य मूल्य**

12. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) के अनुसार चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन में प्रचलित लागतों या घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जाए यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाएं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडीडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार इसकी उचित तुलना करें। ऐसा नहीं होने पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

13. आवेदक ने चीन को छोड़कर वैश्विक रूप से विभिन्न देशों से तुर्की में आयातित विचाराधीन उत्पाद की सतत कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।

14. शुरुआत के उद्देश्य से, और नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार, प्राधिकरण ने भारत में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है। प्राधिकरण ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को लाभ में उचित वृद्धि के साथ समायोजित माना है

निर्यात कीमत

15. आवेदक ने निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए बाजार आसूचना के अनुसार सूचित सीआईएफ कीमत का दावा किया है। निर्यात कीमत को समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय मालभाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है।

पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

च. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी प्रभाव के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उत्पादन, बिक्री, लाभप्रदता, निवेश पर आय, मालसूची के संग्रहण और क्षमता उपयोग के संबंध में उसके निष्पादन पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसी कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं।

ज. जांच की अवधि

19. आवेदक ने जांच की अवधि के लिए 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक का प्रस्ताव किया था। तथापि, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 की है। क्षति जांच अवधि में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि शामिल है।

झ. प्रक्रिया

20. वर्तमान जांच के लिए एडी नियमावली, 1995 के नियम 6 के अंतर्गत यथाउल्लिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in and jd13-dgtr@gov.in पर तथा उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in, और adg13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
22. संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर विहित समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में यथाविहित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में यथाविहित ढंग और पद्धति से वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ए डी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in और jd13-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और adg13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और ए डी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।
28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है वहां उसे ए डी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले वर्तमान जांच के किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
30. ऐसे अनुरोधों में प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी ऐसे अनुरोधों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशिकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।
32. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के आधार पर इस आशय के कारणों का एक पर्याप्त विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशिकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।
33. गोपनीयता के दावे के संबंध में उसके किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और उचित कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

34. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें।

ढ. असहयोग

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2023

(Case No. AD(OI)- 08/2023)

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Sulphur Black" originating in or exported from China PR.

F.No.6/08/2023-DGTR—1. M/s Atul Ltd. (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Rules"), for initiation

of an anti-dumping investigation concerning imports of "Sulphur Black" (hereinafter referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration') originating in or exported from China (hereinafter referred to as 'the subject country').

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating or exported from the subject country and has requested the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is "Sulphur Black" originating in or exported from China PR. Sulphur Black is mainly used for dyeing cellulose fiber, viscose staple fiber and yarn. It is produced either in a powder form or in a liquid form. Regardless of the form it is produced in, it can be easily converted from one form to another without significant additional costs. The product under consideration is produced in various strengths. These strengths are described as BR 100, BR 200, BR 220, BR 240, etc. BR 220 is designated as standard strength. Though the product is produced in various strengths, they can be interchangeably used.

4. Sulphur Black is primarily used for dyeing cellulose fiber. It is also used for dyeing viscose staple fiber and yarn, paper and leather. The primary application of the product under consideration is, hence, in the textile, paper and leather sectors.

5. The product under consideration is being imported from the subject country under HS Code 32041967 of Chapter 32 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. However, the applicant claims that import of the PUC has also taken place in other sub-headings as well, i.e. 32041196, 32041218, 32041911, 32041925, 32041958, 32041964, 32041969, 32041979 and 32049000. The customs classification is only indicative and the same is not binding on the scope of the investigation.

6. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC as well as their proposal for the construction of PCNs, if any, within 30 days from the date of initiation of this investigation.

Import Data source and methodology for calculation of volume

7. The Authority has received the transaction-wise import data from the DG System. The Authority has relied on the DG System data to compute import volume, value, and landed price. It may be noted that the imported product is of various strengths such as BR 220, BR 200 etc. However, to arrive at the equivalent volume, the applicant has proposed that imported volumes be converted into the most commonly traded strength of BR 220. The following methodology has been adopted for the conversion of the import data: -

| SN | Import Types | Strength | Formulas |
|----|--------------|----------|-------------|
| 1 | BR 220 | 100% | 220/220*100 |
| 2 | BR 100 | 45% | 100/220*100 |
| 3 | BR 240 | 109% | 240/220*100 |
| 4 | BR 200 | 91% | 200/220*100 |
| 5 | BR 260 | 118% | 260/220*100 |
| 6 | BR 160 | 73% | 160/220*100 |

8. The Authority may further examine the need for the adoption of any other methodology for the conversion of data or the need for PCN-wise analysis based on the comments from the other interested parties.

B. LIKE ARTICLE

9. The applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences between the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from the subject country. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Consumers are using the two interchangeably. The Authority notes that the two are technically and commercially substitutable. Hence, for the purposes of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated by the Authority as 'like articles' to the subject goods being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

10. The subject country in the present petition is China PR.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

11. The applicant has claimed that they have neither imported the PUC nor is related to any producer/exporter of the product under consideration in China PR or any importer of the subject goods in India. Further, the application has also been supported by Mahadev Dyes & Chemicals, Khekra Chemicals and Allied Products Pvt. Ltd., APCO Dye Chem Pvt. Ltd., and Maulik Dyechem. Considering the information on record, the applicant accounts for a major proportion (more than 70%) of Indian production. In view of the above and after examination, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

E. BASIS OF ALLEGED DUMPING

Normal Value

12. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol, the normal value for Chinese producers may be determined based on costs or domestic selling prices prevailing in China, only if the responding Chinese producers demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of Para 1 to 6 of Annexure I to ADD Rules, failing which, normal value for Chinese producers must be determined based on para 7 and 8 of Annexure I to the rules.

13. The applicant has claimed the normal value on the basis of the consumption price of the product under consideration imported into Turkey from various countries globally, excluding China PR.

14. For the purpose of initiation, and in accordance with para 7 of annexure 1 of the rules, the Authority has considered the normal value on the basis of the price paid or payable in India. The Authority has considered the cost of production of the domestic industry as adjusted with reasonable addition for profit for the purpose of determining normal value.

Export price

15. The applicant has claimed the CIF price reported as per market intelligence for the determination of export price. However, the Authority has taken into account DG systems data for computing the export price of the subject goods from China into India. The export price has been adjusted with ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges.

Dumping margin

16. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimus* level and is significant in respect of the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

F. INJURY AND CAUSAL LINK

17. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury that took place as a result of the alleged dumping in the form of an increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production or consumption in India, price undercutting and price suppressing effect on the domestic industry. The applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of production, sale, profitability, return on investment, accumulation of inventories and capacity utilization as a result of the increase in imports of the product under consideration at an injurious price for the domestic industry. There is sufficient *prima facie* evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject country.

G. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

18. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. PERIOD OF INVESTIGATION

19. The applicant had proposed the period of investigation as 1st January 2022 to 31st December 2022. However, the period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is from April 2022 to March 2023. The injury investigation period covers the financial years 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the POI.

I. PROCEDURE

20. The principles as stated under Rule 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

21. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd15-dgtr@gov.in and jd13-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and adg13@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

22. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.

23. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limit mentioned in this initiation notification.

24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

25. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. TIME LIMIT

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd15-dgtr@gov.in and jd13-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

28. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

29. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

30. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

31. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

32. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentially claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

34. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

35. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority